→ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति (अधिकार) हासिल है। जिसको प्रयुक्त करके ये किसी भी विषय को रद्द कर सकते है।
→ 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा दो वर्षों के लिए किया जाता है।
→ निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होता है।

(ii) आम सभा :— संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। जिसे महासभा भी कहा जाता है।
→ 193 सदस्यों के प्रतिनिधि होते है।
→ सभी को एक समान मत।
→ प्रमुख निर्णयों के लिए दो तिहाई और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत।
→ निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होता है।

(iii) आर्थिक और सामाजिक परिषद् :—
→ इसमें 54 सदस्य है।
→ सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा तीन वर्षों के लिए होता है।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय :—
→ इसमें 15 सदस्य होते है।
→ इसके सदस्यों का चुनाव आम सभा और सुरक्षा परिषद् दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है।
→ इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैण्ड) में है।

(v) सचिवालय :— अन्य प्रमुख संगठनो के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ।
→ इसका प्रधान महासचिव होता है। जिसकी नियुक्ति सुरक्षा - परिषद् की सलाह पर आम सभा पाँच सालो के लिए करती है।

(vi) न्यासिता परिषद् :— संयुक्त राष्ट्रसंघ की न्यासिता प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली अंतिम 'ट्रस्ट टेरीटरी' पलाउ के आजाद होने के साथ 1 नवम्बर 1994 से यह परिषद् स्थगित हो गई थी।

→ वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के नौवें महासचिव है।

⇒ एंटोनियो गुटेरेस ने यह पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे।

⇒ सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों से निबटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कई एजेन्सियाँ है। इनमें प्रमुख है —
⇒ WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health organization)
⇒ UNDP संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (United Nations Development Poogramme)
⇒ UNHRC संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार आयोग (United Nations Human Rights Council)
⇒ UNHCR संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी उच्चायोग (United Nations High Commissioner for Refugees)

⇒ UNICEF संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष
(United Nations children's fund)

⇒ UNESCO संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन।
(United Nations Educational, social and Cultural Organization)

(3.) शीतयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधार :—

⇒ संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने दो प्रकार के बुनियादी सुधारों का मसला है :—

(i) इस संगठन की बनावट एवं इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए।

(ii) इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए।

⇒ संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट एवं प्रक्रियाओं में सुधार के सम्बन्ध में माँग यह है कि सुरक्षा परिषद् में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ायी जाये तथा समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं का इस संगठन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

(4.) प्रक्रियाओं के ढाँचे में सुधार :—

⇒ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं एवं इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं।